हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

पंचम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 43

बुधवार, 28 फरवरी, 2024/9 फाल्गुन, 1945(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए पिछले कल विधान सभा में घटित घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि-

> "पिछले कल यानी दिनांक 27.02.2024 को जब माननीय सदन की बैठक को स्थगित किया गया तथा उसके उपरांत लगभग 02.15 बजे अपराह्न जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष के विधायकों द्वारा शोर-शराबा तथा अध्यक्ष महोदय की तरफ आपत्तिजनक इशारे व टिप्पणियां की गईं। उस दौरान कार्यवाही न चल पाने की वजह से माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को स्थगित किया गया। उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक श्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में माननीय अध्यक्ष के चैम्बर की ओर नारेबाजी करते हुए गए और वहां उपस्थित मार्शल के साथ धक्का-मुक्की की तथा जबरदस्ती अध्यक्ष महोदय के

कक्ष में प्रवेश किया। वहां पर अध्यक्ष महोदय के साथ गाली-गलौज करते हुए उन्हें धमकियां दी गईं तथा मेज भी थपथपाया गया। यह सारा घटनाक्रम लगभग 10 से 15 मिनट तक चलता रहा और अध्यक्ष महोदय के अनुरोध करने के बावजूद भी ये सदस्य कक्ष से बाहर नहीं गए। अध्यक्ष महोदय द्वारा हाथ जोड़ने पर काफी समय बाद ये सभी सदस्य नारेबाजी करते हुए वहां से बाहर निकले। फिर रात को लगभग 08.30 बजे ये सभी माननीय सदस्य दोबारा से धक्का-मुक्की करते हुए अध्यक्ष महोदय के कक्ष में घुसे और उन्हें कई प्रकार की धमकियां दीं तथा डराने व धमकाने की कोशिश की गई। इस प्रकार के कृत्य से अध्यक्ष महोदय के स्वतंत्र कार्य में बाधा पहुंचाई गई और इस तरह से सदन की निष्पक्ष कार्यवाही चलाना सम्भव नहीं है। इनका यह कृत्य असंसदीय है जिससे सदन और विधान सभा की गरिमा को ठेस पहुंची।"

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम-319 के तहत निम्न सदस्यों को विधान सभा सदन से निलम्बित किया जाए ताकि इस माननीय सदन की कार्यवाही को निष्पक्ष रूप से चलाया जा सके-

1. श्री जय राम ठाकुर
2. श्री विपिन सिंह परमार
3. श्री रणधीर शर्मा
4. श्री लोकेन्दर कुमार
5. श्री विनोद कुमार
6. डॉ0 हंस राज
7. डॉ0 जनक राज
8. श्री बलबीर सिंह वर्मा
9. श्री त्रिलोक जम्वाल
10. श्री सुरेन्द्र शौरी
11. श्री दीप राज
12. श्री पूर्ण चन्द ठाकुर
13. श्री इन्द्र सिंह
14. श्री दलीप ठाकुर
15. श्री रणवीर सिंह (निक्का)।"

माननीय अध्यक्ष ने **संसदीय कार्य मंत्री** द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन से निलम्बित सर्वश्री जय राम ठाकुर, विपिन सिंह परमार, रणधीर शर्मा, लोकेन्दर कुमार, विनोद कुमार, डॉ0 हंस राज, डॉ0 जनक राज, श्री बलबीर सिंह वर्मा, श्री त्रिलोक जम्वाल, सुरेन्द्र शौरी, दीप राज, पूर्ण चन्द ठाकुर, इन्द्र सिंह गांधी, दलीप ठाकुर व श्री रणवीर सिंह (निक्का) से आग्रह किया कि वे माननीय सदन से मेजॉरिटी वोट से निलम्बित हुए हैं, अतः वे इस माननीय सदन की अनुपालना करते हुए सदन से बाहर चले जाएं तथा नियमों की उल्लंघना न करें अन्यथा नियमों के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ेगा।

(विरोधस्वरूप विपक्ष के सभी माननीय सदस्य वैल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

माननीय अध्यक्ष ने बार-बार सदन से निलम्बित सदस्यों को सदन से बाहर चले जाने का आग्रह किया परन्तु संबंधित माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय की बात को अनसुना कर दिया गया। अन्ततः अध्यक्ष महोदय ने मार्शल को संबंधित माननीय सदस्यों को सदन से बाहर करने हेतु आदेश देते हुए कहा-

> "I am ordering the Marshal that he should take assistance of his team and all these Members, those who have been named in the House, should be removed from the House forcibly. I will request the Hon'ble Members, those who have been named, please move out from the Well of the House. I am requesting you time and again, otherwise the Force will be used for the removal as per the Rules & Procedures of the House. I am again requesting the Members those who have been named should move out from the Well of the House and the Marshal should take his course now to remove them forcibly from the House."

माननीय अध्यक्ष ने विपक्ष द्वारा की जा रही नारेबाजी के बीच ही प्रश्नकाल आरंभ करने की घोषणा कर दी।

(विपक्ष के माननीय सदस्यगण माननीय अध्यक्ष की चेयर के समीप जाकर नारेबाजी करने लगे।)

(शोर-शराबे के बीच 11.10 बजे पूर्वाह्न सदन की बैठक दोपहर 12.00 बजे तक स्थगित हुई।)

(02.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में पुनः आरंभ हुई।)

माननीय सदस्य सतपाल सिंह सत्ती ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले कल कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त विपक्ष द्वारा डिवीजन ऑफ वोट एक ठोस आधार पर मांगा गया था। क्योंकि विपक्ष को जानकारी थी कि राज्य सभा के चुनाव में कांग्रेस के बहुत से लोगों तथा निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह मामला सबज्यूडिस है और माननीय सदस्य जिन छह विधायकों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनकी पेटिशन अध्यक्ष महोदय पास है और अभी-अभी उनके द्वारा दोनों पार्टियों को सुना गया है और उसकी फिर से सुनवाई के लिए 04.00 बजे अपराह्न बैठक बुलाई गई है। उन्होंने सदन के स्थगित हो जाने के उपरान्त विपक्ष द्वारा सदन में किए गए कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश का आज का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा माननीय अध्यक्ष के आसन के पास जाकर उसके ऊपर कागज फैंकने के लिए कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई अमल में लाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि-

"यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि माननीय सदस्यों का निलम्बन होने के बाद भी वे सभी सदन में बैठे रहे जबकि हमारे नियम खुले रूप से यह कहते हैं कि जब हाउस एडजॉर्न हो जाए और किसी भी मेम्बर के खिलाफ एक्शन ले लिया जाए तो वह सदन से बाहर हो जाता है। परंतु संबंधित माननीय सदस्यगण उसके बाद भी सदन में बैठे रहे, this is again the violation of the Rules. I am sorry to say that and I am

hurt. मैं सभी माननीय सदस्यों से जो आज सदन से निलम्बित हुए हैं उनसे कल बार-बार आग्रह कर रहा था कि आप लोग बैठ जाइए और जो उन्होंने मेरे चैम्बर में घुसने का प्रयास किया है उसकी वीडियो फुटेज मेरे पास है। Chamber is not Vidhan Sabha, whether I allow you or not, that is my discretion in the Chamber. Without seeking my permission all Members got inside my chamber and started circling me like anything as if they wanted to attack me. It was very shocking state. I was time and again requesting them to sit down. You all are the senior most Members, we can oppose each other, if any grim situation has arisen in a political setup, we will face it. We are elected by the people, we are not scared of any election or any development also. पिछले एक साल में जितनी भी सदन की बैठकें हुई हैं, सबसे ज्यादा बोलने का समय नेता प्रतिपक्ष को दिया गया है और सभी सम्माननीय सदस्यों को बोलने का उचित समय दिया गया है। जो सदस्य यहां पर चुप बैठे थे, उनके खिलाफ हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। आदरणीय अनिल शर्मा जी, आदरणीय सुख राम चौधरी जी, आदरणीय प्रकाश राणा जी और आदरणीय पवन कुमार काजल जी आप सभी चुप बैठे थे और श्रीमती रीना कश्यप जी भी चुप बैठी थीं। They were trying to instigate her but she did not came in that instigation also. Secondly, I have put that petition today for hearing. अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर द्वारा हियरिंग का फर्स्ट पार्ट शुरू कर दिया गया है। 4.00 बजे तक Anti Defection Law के तहत as a Tribunal, I have taken up that issue and that is under deliberation with me as the Chairman Tribunal not as Speaker. So this matter is not required to be raised in this House, as rightly pointed out by the Parliamentary Affairs Minister."

माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि जिन माननीय सदस्यों का सदन से निलम्बन हुआ है, वह गलत है क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने श्री सतपाल सिंह सत्ती, सदस्य द्वारा प्रयुक्त किए गए कुछ शब्दों को कार्यवही से निकालने के आदेश दिए।

(**विपक्ष के माननीय सदस्यगण 14.15 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन कर गए।**)

माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता और इनके सभी सहयोगी आए दिन लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, इनका यह कृत्य इस माननीय सदन की मर्यादा को तार-तार करता है और आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। विपक्ष द्वारा वैल के अंदर आकर सदन में बैठे विधान सभा के अधिकारियों से कागज छीनकर माननीय अध्यक्ष के आसन तथा हमारे साथियों के ऊपर फैंकना भी निंदनीय है। उन्होंने पिछले कल राज्य सभा के लिए वोटिंग के समय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर द्वारा 15-20 लोगों सहित पोलिंग बूथ के अंदर घुसकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के इलैक्शन ऐजेंट के साथ गाली-गलोच करने की भी भर्त्सना की। उन्होंने अध्यक्ष महोदय की माननीय सदन की मर्यादा और गरिमा के लिए समय-समय पर लिए गए सही फैसलों के लिए प्रशंसा की तथा आज सदन में घटित घटना की कड़े शब्दों में निंदा की।

माननीय मुख्य मंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज सुबह जब वे हाउस से बाहर जा रहा थे तो सदन में बैठे विधान सभा के स्टाफ से विपक्ष के सदस्यगणों द्वारा कागज छीनकर अध्यक्षपीठ की ओर फेंके गए जिसकी वीडियोग्राफी का रिकॉर्ड उपलब्ध है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि जिन्होंने यह कृत्य किया है उनके खिलाफ विधान सभा के नियमों/कानूनों के तहत सख्त-से-सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा जो सत्तापक्ष के सदस्यगण सदन एडजॉर्न हो जाने के उपरान्त यहां सदन के अंदर नाच रहे थे, उन सभी के खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि यहां से जो भी निर्देश जारी हुए हैं, उनकी उल्लंघना हुई है। निलम्बन का प्रस्ताव आने के बाद भी संबंधित माननीय सदस्यों का सदन के अंदर रहना और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाना तथा यहां की रिवायतों को तोड़ना हम सबके लिए निःसंदेह बहुत ही दुःख की बात है। इसलिए भविष्य में अगले विषयों पर नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज बजट पारित होना है और फाइनेंशियल बिल भी है जिसका समय अब हो रहा है तथा माननीय सदन के पास अब कोई और बिजनेस भी नहीं है।

1. प्रश्नोत्तर

दिन के लिए निर्धारित तारांकित/अतारांकित प्रश्न कार्यवाही का भाग बने।

2. कागज़ात सभा पटल पर

श्री राजेश धर्माणी, तकनीकी शिक्षा मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2014 की धारा-41 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का वार्षिक लेखे (संपरीक्षा रिपोर्ट सहित), वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री नन्द लाल, सभापति, कल्याण समिति** (वर्ष 2023-24) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी:-

(i) समिति का 18वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः 32 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP) की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है;

(ii) समिति का 19वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः 31 के अन्तर्गत जनजातीय विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(iii) समिति का 20वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः 19 के अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

(2) **श्री केवल सिंह पठानिया, सदस्य, जन प्रशासन समिति** (वर्ष 2023-2024) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः 21 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का पंचम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः22 के अन्तर्गत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

(3) **श्री भवानी सिंह पठानिया, सभापति, मानव विकास समिति** (वर्ष 2023-2024) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 17वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः9 के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का 18वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः24 के अन्तर्गत मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

(4) **संजय रत्न, सभापति, सामान्य विकास समिति** (वर्ष 2023-2024) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का षष्टम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग की गतिविधियों/कार्यों की संवीक्षा पर आधारित है;

(ii) समिति का सप्तम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि आवास विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्यवन पर आधारित है;

(iii) समिति का अष्टम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्यवन पर आधारित है;

(iv) समिति का नवम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः13 के अन्तर्गत सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(v) समिति का दशम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः26 के अन्तर्गत पर्यटन और नागर विमानन विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

(5) **श्री नन्द लाल, सदस्य, ग्रामीण नियोजन समिति** (वर्ष 2023-2024) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का पंचम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(ii) समिति का षष्टम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः16 के अन्तर्गत वन और वन्य जीवन विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(iii) समिति का सप्तम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः20 के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

4. नियम समिति का प्रतिवेदन

श्री विनय कुमार, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, नियम समिति (वर्ष 2023-24) ने (चौदहवीं विधान सभा) समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(02.25 बजे अपराह्न गिलोटिन लगाया गया।)

5. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं पारण।

मांग संख्या : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 व 32 पूर्ण रूप से पारित हुईं।

6. विधायी कार्य

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2) पुरःस्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3 व 4 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2)" पारित हुआ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अभी माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाया कि कांग्रेस पार्टी ने व्हिप इश्यू किया है कि कांग्रेस के सभी सदस्य सदन में उपस्थित होंगे और बजट के पक्ष में वोट डालेंगे। उन्होंने as an evidence अध्यक्ष महोदय के ध्यान में पुनः लाया कि आज सत्तापक्ष ने इन 6 विधायकों की बाइ-नेम पेटिशन फाइल की है, they are absent from the House. It amounts that they have defied the Whip and it attracts the Anti Defection Law under Schedule-10. This is one of the evidence. उन्होंने कहा कि यह बात इसलिए पुनः ध्यान में लाई जा रही है क्योंकि it becomes part of the house proceedings that they are second time absent from the House.

इस पर **अध्यक्ष महोदय** ने निर्णय देते हुए कहा कि –

"All those Members in fact have defied the Whip also. They are not present today also when this Finance Bill is under consideration and passing in this Hon'ble House. I have taken cognizance of that and it will also be part of the record. मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 15 माननीय सदस्यों को remaining Session के लिए सस्पेंड किया जा चुका है तथा माननीय सदन के पास अब कोई बिजनेस शेष नहीं है।"

(राष्ट्रीय गीत गाया गया।)

(02.35 बजे अपराह्न सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)